

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्या: 06/2020

दायर दिनांक: 18.02.2020

निर्णय दिनांक 25.07.2025

—: अनवान :—

नरेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द

— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, राजसमन्द तहसील राजसमन्द जिला
राजसमंद

— रेस्पोंडेन्ट

**अपील विरुद्ध निर्णय माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब राजसमंद
जिन्होंने अपना निर्णय दिनांक 20.01.2020 पत्रावली संख्या 12 सन 2020 नाजायज
कब्जा में दिया**

उपस्थित:-

- 1— श्री अब्दुल हाकिम चुड़ीघर, अधिवक्ता अपीलान्त
- 2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द प्रकरण संख्या 12/2020 निर्णय दिनांक 20.01.2020 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्त मूलतः केलवा का निवासी होकर उनका पैतृक मकान कालबेलिया बस्ती केलवा में बना हुआ है जहाँ अपीलान्त अपने परिवार सहित रह रह रहा है। इस मकान के अतिरिक्त और कोई मकान अपीलान्त के पास नहीं है। अभी कुछ दिनों पूर्व अपीलान्त के विरुद्ध पंचायत चुनाव में राजनैतिक दुर्भावनावश यह शिकायत हुई कि अपीलान्त ने चारागाह भूमि में अवैद्य मकान बना रखा है। इस शिकायत पर हल्का पटवारी ने बिना अपीलान्त की मौजूदगी में रिपोर्ट बनाये माननीय अधिनस्थ तहसीलदार साहब के यहाँ एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत कर दी कि सम्वत 2076 में राजस्व गाँव केलवा के आराजी संख्या 4429 कुल रकबा 175 बीघा चारागाह में से 00.04 चार बिस्वा भूमि पर अपीलान्त विपक्षी ने कमरा निर्माण चालू किया जबकि अपीलान्त का मकान काफी पुराना है। इस शिकायत पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने नाजायज कब्जे में प्रकरण दर्ज कर दिनांक 20.01.2020 को अपीलान्त विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना पत्र जारी किया। जिस पर विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं जुबानी निवेदन किया कि उसका मकान पैतृक मकान होकर काफी पुराना है इस संबंध में अपीलान्त विपक्षी अपने दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य न्यायालय में पेश करना चाहता है। जिसके लिए उसे अवसर प्रदान कराया जावे क्योंकि सूचना पत्र प्राप्ति के



(Handwritten signature)

पश्चात् विपक्षी अपीलान्त को पर्याप्त समय साक्ष्य संकलन हेतु नहीं मिलने से वह सुनवाई दिनांक 20.01.2020 को साक्ष्य पेश नहीं कर सक रहा है जिस पर न्यायालय ने अपीलान्त से केवल मात्र आदेशिका पर हस्ताक्षर करवा बाद में तारीख पेशी का पता लगा लेने का कथन किया। दूसरे रोज अपीलान्त न्यायालय में तारीख पेशी हेतु उपस्थित हुआ तो उसे आयन्दा आने हेतु कहा गया। दिनांक 11.02.2020 को अपीलान्त अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तो जानकारी हुई कि उसे उसके मकान से 50 गुना भू राजस्व की शास्ति सहित बेदखली के आदेश कर दिये हैं जिस पर दुःखी रंजित परेशान हो अपीलान्त ने तत्काल अधिनस्थ की पत्रावली एवं निर्णय हेतु आवेदन किया एवं मिलते नकल बिना किसी विलम्ब के अपीलान्त अपनी अपील इन आधार पर प्रस्तुत कर रहा है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व न्याय के विपरित होकर काबिल निरस्त है। ग्राम पंचायत केलवा एवं तहसीलदार साहब द्वारा समय समय पर चरागाह एवं अन्य राजस्व भूमि व आबादी भूमि पर अवैध अतिक्रमण बाबत कार्यवाही की गई लेकिन कभी भी अपीलान्त के मकान को चरागाह भूमि में होना नहीं पाया गया। वर्ष 2019 में भी माह जुलाई अगस्त में ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार साहब द्वारा संयुक्त अभियान चलाये गये लेकिन अपीलान्त की भूमि कालबेलिया बस्ती वाले आराजी नम्बर जो कि राजस्व अभिलेख में आबादी से दर्ज है में अपीलान्त का मकान होना पाया गया। इस प्रकार अपीलान्त का मकान कालबेलिया बस्ती के आराजी नम्बर जो कि किस्म आबादी है में स्थित है। अभी वर्तमान में नये पटवारी साहब का पदस्थापन हुआ है पूर्व पटवारी साहब को इस मामले का पूर्ण ज्ञान था कि अपीलान्त का मकान कालबेलिया बस्ती के आराजी नम्बर की सीमा में स्थित है लेकिन किनारे पर आने के कारण वर्तमान पटवारी साहब ने केवल बिना नपती किये अपीलान्त के मकान को चरागाह भूमि में होना मान यह कार्यवाही कर दी है जो स्पष्टतः तहसीलदार साहब के क्षेत्राधिकार के बाहर है। बिना विस्तृत जाँच किये अपीलान्त के विरुद्ध यह आदेश पारित कर दिया जो काबिल निरस्त है। अपीलान्त का मकान आबादी क्षेत्र में होकर राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार नियमन योग्य हैं। राज्य सरकार की योजना सबको आवास सबको शिक्षा सबको चिकित्सा के मूल भूत सिद्धान्तों के विपरित बिना जाँच किये पटवारी साहब ने जो रिपोर्ट तहसीलदार साहब के यहाँ प्रस्तुत कर दी एवं तहसीलदार साहब ने भी बिना जाँच किये व बिना गवाह सबूत लिये जो बेदखली का आदेश पारित कर दिया वह काबिल निरस्त है। अपीलान्त अपने मकान के संबंध में विस्तृत जाँच एवं गवाह सबूत पेश करना चाहता है जिसका उसे पर्याप्त समय दिया जाना आवश्यक है। बिना जाँच किये जो बेदखली का आदेश पारित कर दिया है उससे अपीलान्त को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है। उसके परिवार को बेघर होना पड जायेगा। आराजी नम्बर 4429 एक बड़ा रकबा है इसी में 4429/1 किस्म आबादी से दर्ज है। इस प्रकार आराजी नम्बर 4429 से सटमा आराजी संख्या 4429/1 किस्म आबादी व आराजी संख्या 4421/1 किस्म आबादी से दर्ज होकर अपीलान्त का मकान आबादी क्षेत्र में स्थित होने से अधिनस्थ न्यायालय की सारी कार्यवाही उसके अधिकार से परे होकर विधि विरुद्ध है जो निरस्त होने योग्य हैं। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्त्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए।



अनिल

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्त मूलतः केलवा का निवासी होकर उनका पैतृक मकान कालबेलिया बस्ती केलवा में बना हुआ है जहाँ अपीलान्त अपने परिवार सहित रह रहा है। इस मकान के अतिरिक्त और कोई मकान अपीलान्त के पास नहीं है। अभी कुछ दिनों पूर्व अपीलान्त के विरुद्ध पंचायत चुनाव में राजनैतिक दुर्भावनावश यह शिकायत हुई कि अपीलान्त ने चारागाह भूमि में अवैध मकान बना रखा है। इस शिकायत पर पटवारी हल्का ने बिना अपीलान्त की मौजूदगी में रिपोर्ट बना माननीय अधिनस्थ तहसीलदार साहब के यहाँ एक रिपोर्ट इस आशय की कि सम्वत 2076 में राजस्व गाँव केलवा के आराजी संख्या 4429 कुल रकबा 175 बीघा चारागाह में से 00.04 चार बिस्वा भूमि पर अपीलान्त विपक्षी ने कमरा निर्माण चालू किया जबकि अपीलान्त का मकान काफी पुराना है। इस शिकायत पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने नाजायज कब्जे में प्रकरण दर्ज कर दिनांक 20.01.2020 को अपीलान्त विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना पत्र जारी किया। जिस पर विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं जुबानी निवेदन किया कि उसका मकान पैतृक मकान होकर काफी पुराना है इस संबंध में अपीलान्त विपक्षी अपने दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य न्यायालय में पेश करना चाहता है। दिनांक 11.02.2020 को अपीलान्त अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तो जानकारी हुई कि उसे उसके मकान से 50 गुना भू राजस्व की शास्ति सहित बेदखली के आदेश कर दिये हैं। माननीय अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व न्याय के विपरित होकर काबिल निरस्त है। ग्राम पंचायत केलवा एवं तहसीलदार साहब द्वारा समय समय पर चरागाह एवं अन्य राजस्व भूमि व आबादी भूमि पर अवैध अतिक्रमण बाबत कार्यवाही की गई लेकिन कभी भी अपीलान्त के मकान को चरागाह भूमि में होना नहीं पाया गया। वर्ष 2019 में भी माह जुलाई अगस्त में ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार साहब द्वारा संयुक्त अभियान चलाये गये लेकिन अपीलान्त की भूमि कालबेलिया बस्ती वाले आराजी नम्बर जो कि राजस्व अभिलेख में आबादी से दर्ज है में अपीलान्त का मकान होना पाया गया। इस प्रकार अपीलान्त का मकान कालबेलिया बस्ती के आराजी नम्बर जो कि किस्म आबादी है में स्थित है। लेकिन किनारे पर आने के कारण वर्तमान पटवारी साहब ने केवल बिना नपती किये अपीलान्त के मकान को चरागाह भूमि में होना मान यह कार्यवाही कर दी है जो स्पष्टतः तहसीलदार साहब के क्षेत्राधिकार के बाहर है। बिना विस्तृत जाँच किये अपीलान्त के विरुद्ध यह आदेश पारित कर दिया जो काबिल निरस्त है। अपीलान्त का मकान आबादी क्षेत्र में होकर राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार नियमन योग्य हैं। राज्य सरकार की योजना सबको आवास सबको शिक्षा सबको चिकित्सा के मूल भूत सिद्धान्तों के विपरित बिना जाँच किये पटवारी साहब ने जो रिपोर्ट तहसीलदार साहब के यहाँ प्रस्तुत कर दी एवं तहसीलदार साहब ने भी बिना जाँच किये व बिना गवाह सबूत लिये जो बेदखली का आदेश पारित कर दिया वह काबिल निरस्त है। अपीलान्त अपने मकान के संबंध में विस्तृत जाँच एवं गवाह सबूत पेश करना चाहता है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्त्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।




(Handwritten signature)

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पटवारी हल्का केलवा ने अपीलार्थी नरेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह चौहान के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि राजस्व ग्राम केलवा की चारागाह भूमि पर नरेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह चौहान ने कमरा निर्माण चालु कर अनाधिकृत कब्जा किया है। जिससे इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करावे। पटवारी हल्का केलवा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया एवं सुनवाई हेतु नियत पेशी दिनांक को अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी कर समूचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर व न्यायिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया जाकर बेदखली आदेश पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि चारागाह होना निर्विवादित है एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत चारागाह भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे से बेदखली आदेश पारित करने व अतिक्रमी के विरुद्ध शास्ति आरोपित करने के अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। जहां तक वादग्रस्त भूमि के आबादी में होने का प्रश्न है अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य न तो इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द के द्वारा दिनांक 20.01.2020 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार राजसमन्द को लौटायी जावे।


(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 25.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद